

प्रारूप-2

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद

पत्रांक / मान्यता / 16174-79

दिनांक 12/01/13

प्रबन्धक,

सेव्ट जोसेफ स्कूल
कैथा लखनपुर, शंकरगढ़
इलाहाबाद

विषय - निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 31.10.2012 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पहचातवर्ती पत्राचार/ निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं सेव्ट जोसेफ स्कूल कैथा लखनपुर, शंकरगढ़, इलाहाबाद को तारीख 01.07.2013 से तारीख 30.06.2016 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा प्री प्राइमरी से कक्षा 5 तक (अग्रीजी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संस्थाना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी गिर्जालिखित द्वारा को पूरा किए जाने के अध्याधीन है।

1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पहचात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।

2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांचं 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपांचं 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति जर्सी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

4- पैदा 3 में लिंटिक बालकों के लिए, विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपचारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जायेगा। ऐसे प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पूरक बैंक खाता रखेगा।

5- सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6- विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का समूत न होने के कारण प्रवेश देने से इकाई नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय गिर्जालिखित सुनिश्चित करेगा:

(i)- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक का विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से गिर्जास्थित नहीं किया जायेगा।

(ii)- किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्याधीन नहीं किया जायेगा।

(iii)- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(iv)- प्राथमिक शिक्षा पूरी होने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किए गये अनुसार एक प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

राम

(v)- अधिनियम के उपर्यंथ के अनुसार जिह्वकृता घट्ट/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना ,

(vi)- अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित ब्यूनियम अहताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर ब्यूनियम अहताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी ब्यूनियम अहताएं अनिवार्य हैं।

(vii)- अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है, और

(viii)- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करें।

7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संबियमों को बनाए रखेगा । अनितम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं -

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	22452 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्र	450 वर्ग मीटर
क्रीड़ा स्थल का क्षेत्रफल	22002 वर्ग मीटर
कक्षाओं की संख्या	07
ग्राम्यापक सह कार्यालय सह भांडागार के लिए कक्ष	03
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	है
पेयजल सुविधा	है
मिड डे मील पकाने के लिए रसाई	है
बाधारहित पहुंच	है
अध्यापन पठन सामग्री/ कीड़ा खेलकूद उपकरणों/ पुस्तकालय की उपलब्धता	मैं

9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई ठीक मान्यता प्राप्त कश्याएं नहीं चलाई जायेगी ।

10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक व्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12- स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13- विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किया जाने

[Signature]



चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक०..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दृष्ट करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अब्या कोई शर्त

भवदीय

(प्रदीप कुमार शर्मा)
जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी
इलाहाबाद

पृष्ठांकन सं० ६१७५ — ७०

तदृदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- सचिव उ०प्र० बैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद
- 2- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक) इलाहाबाद मण्डल, इलाहाबाद
- 3- जिला समाज कल्याण अधिकारी / पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / अल्प संख्यक कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद
- 4- सम्बलित खण्ड शिक्षा अधिकारी
- 5- खण्ड शिक्षाधिकारी, इलाहाबाद
- 6- कार्यालय गार्ड फाइल

(प्रदीप कुमार शर्मा)
जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी
इलाहाबाद

प्रारूप 2
कार्यालय जिला बेरिक शिक्षा अधिकारी
इलाहाबाद

पत्रांक: 37874-78 /2015-16

दिनांक 7-16

प्रबन्धक,
सेन्ट जोसेफ स्कूल कैथा लखनपुर शंकरगढ़
इलाहाबाद।

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए
निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 16 के उप नियम (4) के अधीन
विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण—पत्र।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 10-7-2015 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं सेन्ट जोसेफ स्कूल कैथा लखनपुर शंकरगढ़ इलाहाबाद को 1-4-2016 से तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से कक्षा 8 तक (हिन्दी माध्यम) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्यधीन हैं:-

- 1- मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई वाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2- विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपबंध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3- विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नरसरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्ग और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4- पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खोता रखेगा।
- 5- सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क ना संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉलिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6- विद्यालय किसी बालक को, उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 16 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
 - (1) प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।
 - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकारित किये गये अनुसार एक प्रमाण—पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकारित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
 - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
 - (8) अध्यापक स्थयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलाओं में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी हारा अधिकारित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं:-
विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल —
कुल निर्मित क्षेत्र—
कीड़ा स्थल का क्षेत्रफल—

कक्षाओं की संख्या— 05

प्राध्यापक—सह कार्यालय—सह भांडागार के लिए कक्ष—पृथक—पृथक
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक—पृथक शौचालय—
पेयजल सुविधा

मिड-डे—मील पकाने के लिए रसोई—

बाधारहित पहुंच

अध्यापक सामग्री / कीड़ा खेलकूद उपस्करण / पुस्तकालय की उपलब्धता—

9— विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेंगी।

10— विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-रथल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11— विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12— स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13— विद्यालय के लेखाओं कीकिसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14— आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 81 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15— विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता संबंधी शर्तों के सातत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।

16— सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17— संलग्न उपांच के अनुसार अन्य कोई शर्तें।

भवदीपा

(राज कुमार)

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
इलाहाबाद।

पृष्ठों/

/2015-16

उसी तिथि को।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1— संघिव, उम्प्र० वेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।

2— सहायक शिक्षा निदेशक(वेसिक), इलाहाबाद मण्डल इलाहाबाद।

3— जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी इलाहाबाद।

4— खण्ड शिक्षा अधिकारी मुख्यालय इलाहाबाद।

5— संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी।

(राज कुमार)

जिला वेसिक शिक्षा अधिकारी
इलाहाबाद।